

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)



पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,
फोन : 07752-220031, फैक्स 07752-260294, ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in,
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 779/अका./2020

बिलासपुर, दिनांक 10/12/2020

आदेश

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर की अनुमति के आधार पर शासकीय टी. सी. एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से नीचे उल्लेखित विषय/पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता/सीट वृद्धि विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

नवीन पाठ्यक्रम-

| | |
|---|------------------|
| 01/ एम.एस.सी. (वनस्पतिशास्त्र) (नवीन विषय) | -20 छात्र संख्या |
| 02/ एम.एस.सी. (माइक्रोबायोलॉजी) (नवीन विषय) | -10 छात्र संख्या |
| 03/ एम.एस.सी. (बायोटैक्नोलॉजी) (नवीन विषय) | -10 छात्र संख्या |

सीटवृद्धि :-


| | |
|---|------------------|
| 01/ एम.एस.सी. (भौतिक शास्त्र) | -05 छात्र संख्या |
| 02/ एम.एस.सी. (गणित) | -05 छात्र संख्या |
| 03/ बी.एस.सी. (बायो.) | |
| 1- बाटनी, जूलाजी एवं केमेस्ट्री | -20 छात्र संख्या |
| 2- बायोटेक्नालॉजी, जूलाजी एवं केमेस्ट्री | -20 छात्र संख्या |
| 3- माइक्रोबायोलॉजी, बाटनी एवं केमेस्ट्री | -20 छात्र संख्या |
| 04/ बी.एस.सी. (गणित) 1-कम्प्यूटर साईंस, फिजिक्स, गणित एवं रसायन शास्त्र | -50 छात्र संख्या |

निर्धारित शर्तें:-

1. महाविद्यालय को उपरोक्तानुसार स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी अकादमिक कैलेंडर के अनुसार छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
2. छत्तीसगढ़ शासन, उच्चशिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जाये।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
4. पाठ्यक्रम/विषय अनुसार शैक्षणिक कार्य पूर्ण करने हेतु यथोचित शिक्षकों, प्रयोगशाला उपकरणों एवं अद्यतन पुस्तकों की व्यवस्था किया जाये।

महाविद्यालय को उल्लेखित शर्तों की पूर्तिकर, पालन प्रतिवेदन 28-02-2021 तक विश्वविद्यालय/राज्य शासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह अस्थाई संबद्धता/सीट वृद्धि आदेश आगामी सत्र से स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 10/12/2020

पृ.क्रमांक 780/अका./2020

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्चशिक्षा विभाग, सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर(छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्राचार्य, शासकीय टी. सी. एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहा.कुलसचिव(अका.)